

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल विविध अपील सं. 1826/2018

द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जरिये प्रभागीय प्रबंधक उदयपुर (राजस्थान),
टीपी हब इंचार्ज, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अभय चेम्बर्स जालोरी गेट,
जोधपुर। (बोलेरो नंबर Gj-1-HI-5251 का बीमाकर्ता)

----अपीलार्थी

बनाम

1. मंजू पत्नी दिनेश कुमार मीना, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी पाल सेपुर तहसील सराड़ा उदयपुर
2. श्रीमती कमला पत्नी श्री मानाजी मीना, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी पाल सेपुर तहसील सराड़ा उदयपुर
3. माना पुत्र श्री फुलाजी मीना, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी पाल सेपुर तहसील सराड़ा उदयपुर
4. महेंद्र पुत्र श्री दिनेश कुमार मीणा, उम्र लगभग 2 वर्ष, नाबालिग होने के कारण जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता, निवासी पाल सेपुर तहसील सराड़ा उदयपुर
5. फिरोज खान पुत्र निसार खान, निवासी चावंड तहसील सराड़ा,
(बोलेरो नंबर Gj-1-HI-5251 का चालक)
6. अभय सिंह पुत्र मनु सिंह राठौड़, निवासी 52-पच ज्योति सोसायटी, मोडासा जिला अरावली मोडासा (गुजरात) (बोलेरो नंबर Gj-1-HI-5251 का स्वामि)

----प्रत्यर्थीगण

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री एम.पी. गोस्वामी ।

प्रत्यर्थी(गण) के लिए : श्री मनीष राजपुरोहित,

श्री राकेश अरोड़ा की ओर से।

श्री दिग्विजय सिंह चौहान

श्री अनुज सहलोट की ओर से ।

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

01/05/2025

1. विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-11, उदयपुर द्वारा एम.ए.सी.टी. संख्या 275/2018 (सी.आई.एस. संख्या 781/2017) में पारित निर्णय एवं पंचाट दिनांक 11.04.2018 से व्यथित होकर, अपीलार्थी-बीमा कंपनी उक्त को अभिखंडित कराने की मांग करते हुए इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई है ।

2. पहले संक्षिप्त तथ्य। दिनांक 03.05.2017 को, लगभग 7:30 बजे, मृतक दिनेश कुमार मीणा और शांति लाल मोटरसाइकिल पर सवार होकर सेपुर से परसाद जा रहे थे । जब वे भूर पहुँचे, तो घाटी (चचानी), परसाद में , प्रत्यर्थी सं. 5-फ़िरोज़ खान (चालक) द्वारा उतावलेपन से एवं उपेक्षापूर्वक चलाए जा रहे एक बोलेरो वाहन, जिसका पंजीकरण क्रमांक GJ-1-HL-5251 है, ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। परिणामस्वरूप, दिनेश को घातक चोटें आई और उनकी मृत्यु हो गई, जबकि शांति लाल को गंभीर चोटें आई।

2.1 पुलिस थाना सारड़ा में भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 304 ए के अंतर्गत एफआईआर संख्या 88/2017 दर्ज की गई और अन्वेषण के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रत्यर्थी सं. 1-4 ने उदयपुर स्थित अधिकरण के समक्ष दावा वाद संख्या 275/2018 दायर किया, जिसमें दिनेश की मृत्यु के लिए प्रतिकर की माँग करते हुए कहा गया कि मृतक 30 वर्ष का था, स्वस्थ चित्त का था और उसका शरीर भी अच्छा था। वह राजमिस्त्री का काम करता था और 12,000 रुपये प्रति माह कमाता था।

2.2 शांति लाल के मामले में दावा किया गया कि वह 30 वर्ष का था और राजमिस्त्री का काम करता था तथा 12,000 रुपये प्रति माह कमाता था। उसकी जांघ की हड्डी टूट गई थी और हंसली की हड्डी खिसक गई थी। उसने (शांति लाल) वित्तीय नुकसान के अतिरिक्त क्षति, शारीरिक पीड़ा और मानसिक वेदना के लिए प्रतिकर का दावा किया।

2.3 प्रत्यर्थी सं. 5 अभय सिंह (बोलेरो संख्या GJ1-HI-5251 के स्वामी) ने स्वीकार किया कि वह उल्लंघनकारी वाहन का स्वामी था और सुसंगत समय पर, प्रत्यर्थी सं. 4 (फिरोज खान) इसका चालक था। हालांकि, उसने मृतक दिनेश और याचिकाकर्ता शांति लाल की यातायात नियमों का पालन न करने की उपेक्षा का अभिवाक् किया। प्रत्यर्थी सं. 3 बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि वाहन के चालक के पास वैध अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र आदि नहीं थे और यह पॉलिसी के निबंधनों का भंग था।

2.3 विद्वान अधिकरण ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए:-

“(1) क्या दिनांक 03.05.2017 को लगभग 7.30 बजे मृतक मोटरसाइकिल पर सवार होकर सेपुर से परसाद जा रहा था, जैसे ही वे भूर पहुंचे घाटी (चचानी) परसाद में, एक बोलेरो संख्या जीजे-1-एचएल 5251, जिसे उसके चालक आर 1 ने उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मृतक दिनेश को घातक क्षति हुई और शांति लाल को गंभीर चोटें आईं।

(2) क्या बीमा कम्पनी को प्रारंभिक आपत्तियों और गुणावगुण के आधार पर दिए गए जवाब की दृष्टि से उसके दायित्व से मुक्त किया जा सकता है, यदि नहीं, तो इसका क्या प्रभाव होगा।

(3) क्या याचिकाकर्ता दावाकृत राशि या कोई अन्य उचित राशि पाने के हकदार हैं, यदि हां, तो कितनी राशि और किससे।

(4) अनुतोष। ”

2.4 अभिलेख के मूल्यांकन पर, विद्वान अधिकरण ने प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 (दुर्घटना के मृतक पीड़ित दिनेश के विधिक प्रतिनिधि) के पक्ष में आवेदन की तिथि से 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 14,40,880 रुपये का प्रतिकर देने का पंचाट जारी किया, जिसका भुगतान अपीलार्थी - बीमा कंपनी द्वारा किया जाना है।

3. शांति लाल द्वारा दायर दावा याचिका में, जो उसी दुर्घटना से उत्पन्न हुई थी, अधिकरण ने शांति लाल की चोटों (जांघ की हड्डी का फ्रैक्चर और हंसली का खिसकना) के लिए 2,70,744 रुपये का प्रतिकर देने का पंचाट जारी किया, जिसमें चिकित्सा व्यय, आय की हानि, वेदना और कष्ट और अन्य गैर-धनीय नुकसानी शामिल है।

3.1 अपीलार्थी ने शांति लाल के पक्ष में दिए गए प्रतिकर हेतु जारी पंचाट को चुनौती नहीं दी है। यह अपील केवल विद्वान अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 (दुर्घटना के मृतक पीड़ित दिनेश के विधिक प्रतिनिधि) के पक्ष में दिए गए प्रतिकर के पंचाट के विरुद्ध है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान अधिकरण ने प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 के पक्ष में प्रतिकर देने का आक्षेपित पंचाट दिनांकित 11.04.2018 पारित करते हुए विधि और तथ्यों, दोनों के आधार पर त्रुटि की है। निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168(1) सहित स्थापित विधिक सिद्धांतों के विपरीत हैं। अतः दावा प्रकरण संख्या 275/2018 में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, उदयपुर (राजस्थान) द्वारा पारित आदेश अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य है।

4.1. उनका तर्क है कि अधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 170 के तहत 13.08.2018 के आदेश के तहत अनुमति प्रदान की थी। इसलिए, प्रतिकर की मात्रा पर दिए गए निष्कर्षों को चुनौती दी जा सकती है।

4.2. उन्होंने कहा कि अभिलेख के अनुसार, मृतक दिनेश कुमार 25 वर्षीय राजमिस्त्री था और अपने पीछे चार आश्रितों को छोड़कर गया। दुर्घटना के समय (03.05.2017) न्यूनतम मजदूरी 7,200 रुपये प्रति माह थी। अधिकरण इसके आधार पर प्रतिकर का सही निर्धारण करने में विफल रहा। इसके अलावा, अधिकरण ने गलत तरीके से कुल प्रतिकर की गणना 14,40,880 रुपये के रूप में की। वास्तविक आय के प्रमाण के अभाव में, गणना न्यूनतम मजदूरी 5,382 रुपये प्रति माह के आधार पर होनी चाहिए थी।

अधिकरण ने गलत तरीके से 7,200 रुपये प्रति माह की आय उपधारित की और पीड़ित की कम उम्र के कारण भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% जोड़ा, साथ ही घोषित मदों के तहत 70,000 रुपये, जैसा कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सेठी (एआईआर 2017 एससी 4973) के अनुसार, सही प्रतिकर 10,94,732 रुपये होना चाहिए था, जबकि अधिकरण ने स्थापित कानूनी मानदंडों के विपरीत, 3,46,148 रुपये अधिक प्रतिकर देने का पंचाट दिया है। अतः, विवाद्यक सं. 3 का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है और पंचाट दिनांकित 11.04.2018 को अभिखंडित और अपास्त कर दिया जाना चाहिए।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी पक्ष की दलीलें सुनी हैं तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. जैसे कि पहले टिप्पणी की गई है, शांति लाल द्वारा दायर दावा याचिका भी उसी दुर्घटना से उत्पन्न हुई थी और अन्य बातों के साथ इस आधार पर आधारित थी कि दुर्घटना प्रत्यर्थी सं.5-फिरोज खान द्वारा चलाए जा रहे बोलेरो वाहन, पंजीकरण संख्या GJ-1-HL5251 के उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण हुई थी। विद्वान अधिकरण ने शांति लाल की चोटों के लिए 2,70,744 रुपये का प्रतिकर देने का पंचाट पारित किया। अपीलार्थी ने शांति लाल के पक्ष में प्रतिकर हेतु पारित पंचाट को चुनौती नहीं दी है। इसका तात्पर्य है कि अपीलार्थी ने विद्वान अधिकरण के इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया है कि दुर्घटना प्रत्यर्थी सं. 5-फिरोज खान द्वारा चलाए जा रहे बोलेरो वाहन, पंजीकरण संख्या GJ-1-HL-5251 के उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाने के

कारण हुई थी। इस प्रकार अपीलार्थी को उसके कृत्य और आचरण के कारण उक्त निष्कर्ष को प्रश्नगत करने से प्रवारित रखा गया है। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय के संज्ञान में ऐसी कोई अभिलेखीय सामग्री नहीं लाई गई है जिससे विद्वान अधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्य के उक्त निष्कर्ष पर विवाद किया जा सके।

7. इस प्रक्रम पर, दिनांक 11.04.2018 के आक्षेपित निर्णय/पंचाट के सुसंगत भाग का संदर्भ लिया जा सकता है जो निम्नानुसार है :-

“9. विवाद्यक सं. 2:-

क्या आर2 बीमा कंपनी आपत्तियों और गुणावगुण आधार पर दिए गए जवाब के आधार पर अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है, यदि नहीं, तो इसका कानूनी प्रभाव क्या होगा? इस विवाद्यक को साबित करने का भार बीमा कम्पनी पर था, जो कि अभिवाक् किये गए तथ्यों को साबित करने में विफल रही। इस संबंध में आर3 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह विवाद्यक आर-3 के विरुद्ध और याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

श्रीमती मंजू एवं अन्य बनाम फ़िरोज़ खान और अन्य। सीआईएस सं. 781/17एमएसीपी सं. 275/18

10. विवाद्यक सं. 03:-

प्रतिकर की मात्रा तय करने के लिए सुसंगत कारक मृतक की आयु, आय, आश्रित और मृतक की भविष्य की संभावना है जैसा कि सरला वर्मा एवं अन्य बनाम डीटीसी एवं अन्य 2009 एसीजे 1298 और एसएलपी संख्या 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी

व अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। एडब्ल्यू-1 ने इस आशय का परिसाक्ष्य दिया कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना में हुई थी। उसने यह भी परिसाक्ष्य दिया कि मृतक राजमिस्त्री का काम करता था और खेती-बाड़ी का काम करता था तथा 500 रुपये प्रतिदिन कमाता था। इसके अतिरिक्त यह परिसाक्ष्य दिया गया कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु 25 वर्ष थी। कानून की यह भी सुस्थापित प्रतिपादना है कि मृतक की आयु ही गुणक के चयन का आधार होगी। आधार कार्ड के अनुसार मृतक की आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी थी। इस मामले में '17' का गुणक लागू होगा।

11. स्वीकार्यतः याचिकाकर्ताओं ने मृतक की आय का कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि यदि याचिकाकर्ता कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, तो याचिकाकर्ता के कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आय का आकलन किया जा सकता है। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि मृतक की कोई आय नहीं है। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय के समक्ष एक भी दस्तावेज/सामग्री नहीं है जिससे यह माना जा सके या निष्कर्ष निकाला जा सके कि मृतक 20000 रुपये प्रति माह कमाता था। मृतक एक मजदूर था। तदनुसार, इस मामले में, अभिलेख के अनुसार, विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों में दुर्घटना के समय मृतक की आय 7200 रुपये प्रति माह निर्धारित की जा सकती है। भविष्य की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मृतक की आय में 40% की वृद्धि उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत प्रतीत होती है। मृतक की आय का $1/3$

हिस्सा व्यक्तिगत व्यय की कटौती के लिए सरला वर्मा (उपरोक्त) के निर्णय के अनुसार व्यक्तिगत व्यय की कटौती के लिए काटा जाता है।

12. गणना:

आय 7200 रुपये प्रति माह और भविष्य की संभावनाओं के रूप में 2880 रुपये जोड़े गए। आय 10,080 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए $1/3$ अर्थात् 3360 रुपये की कटौती के बाद शेष राशि 6720 रुपये प्रति माह होती है। तदनुसार, आश्रितता की हानि 13,70,880 रुपये ($6720 \times 12 \times 17$ रुपये) होती है। दाम्पत्य वंचन, सम्पदा की हानि और अंतिम संस्कार के व्यय के लिए 70,000 रुपये की प्रतिकर राशि भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार मृतक की मृत्यु पर कुल प्रतिकर 14,40,880 रुपये होता है। 50,000 रुपये की अंतरिम प्रतिकर राशि, यदि कोई हो, समायोजित की जाएगी। अभिलेख के अनुसार, उस समय उल्लंघनकारी वाहन का विधिवत बीमा आर3 द्वारा कराया गया था और तदनुसार, आर3 को आज से 30 दिनों के भीतर, याचिका दायर करने की तिथि अर्थात् 02.08.17 से लेकर, जब तक कि आर3 द्वारा याचिकाकर्ताओं और उनके अधिवक्ता को पंचाट राशि जमा करने की सूचना नहीं दी जाती, 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ, पंचाट राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

8. अपीलार्थी ने दलील दी कि सुसंगत समय पर, चालक (प्रत्यर्थी सं. 5) के पास वैध अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र नहीं था, जो बीमा पॉलिसी का भंग है। हालाँकि, वह इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। इस अभिवचन को साबित करने का भार बीमा कंपनी पर था, लेकिन वह इस भार से निर्मुक्त होने के लिए कोई

साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही। अतएव, विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध निष्कर्ष अभिलिखित करना न्यायोचित था।

8.1 निर्विवाद रूप से, दुर्घटना के समय उल्लंघनकारी वाहन अपीलार्थी द्वारा विधिवत् रूप से बीमाकृत था। पॉलिसी उल्लंघन सिद्ध करने वाले साक्ष्य के अभाव में, बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, विवाद्यक सं. 2 पर अधिकरण का निष्कर्ष अभिलेखों के अनुसार ठीक और सही है और उसे बरकरार रखा जाता है।

9. दोनों मृतकों (दिनेश) के लिए अधिकरण द्वारा की गई प्रतिकर की गणना स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप और उचित है। अधिकरण ने मृतक की आय 7,200 रुपये प्रति माह निर्धारित की, यह देखते हुए कि वह एक राजमिस्त्री था और दुर्घटना के समय (03.05.2017) न्यूनतम मजदूरी थी। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि वास्तविक आय के प्रमाण के अभाव में आय 5,382 रुपये प्रति माह होनी चाहिए थी। हालाँकि, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, अधिकरण का राजमिस्त्री जैसे कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी (7,200 रुपये) पर निर्भरता उचित और न्यायिक नज़ीरों के अनुरूप है।

9.1 अधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% जोड़ा, जैसा कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (एआईआर 2017 एससी 4973) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृतक की तरूण आयु (25 वर्ष) को देखते हुए आदेश दिया गया था। मृतक की उम्र के आधार पर 17 का गुणक, सरला वर्मा बनाम डीटीसी (2009 एसजी 1298) के अनुसार सही ढंग से लागू किया गया था।

10. अधिकरण ने चार आश्रितों को सही मानते हुए, व्यक्तिगत खर्चों के लिए आय के 1/3 (3,360रुपए) की कटौती की। घोषित मदों (दाम्पत्य वंचन, सम्पदा की हानि और अंतिम संस्कार के व्यय) के लिए ₹ 70,000 की राशि का पंचाट जारी किया गया। इस प्रकार, 14,40,880 रुपए (6,720 रुपए x 12 x 17 + 70,000 रुपए) का कुल प्रतिकर गणितीय रूप से सटीक और कानूनी रूप से न्यायोचित है। अपीलार्थी का यह दावा कि सही राशि 10,94,732 रुपए होनी चाहिए, मनमाने ढंग से कम आय की उपधारणा (5,382 रुपए) पर आधारित है, जिसमें साक्ष्यिक समर्थन का अभाव है।

11. वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि चारों प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 में से प्रत्येक को 'दाम्पत्य वंचन' शीर्षक के अंतर्गत 44,000/- रुपये (कुल 17,6000/-रुपये) की उच्चतर प्रतिकर राशि और मृतक की सम्पदा की हानि और अंतिम संस्कार के व्यय के लिए देय प्रतिकर की राशि प्रदान की जानी चाहिए थी। इसके विपरीत, विद्वान अधिकरण ने केवल दाम्पत्य वंचन, सम्पदा की हानि और मृतक के अंतिम संस्कार के व्यय के लिए 7,0000/- रुपये की समेकित राशि प्रदान की। हालाँकि, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 ने प्रतिकर में वृद्धि के लिए कोई अपील या प्रति-दावा दायर नहीं किया है।

12. संक्षेप में, साक्ष्य और कानूनी सिद्धांतों के सावधानीपूर्वक अनुप्रयोग के आधार पर विद्वान अधिकरण के निष्कर्षों में कोई विकृति या अवैधता नहीं है। अधिकरण ने विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर चालक (प्रत्यर्थी सं.1) पर उपेक्षा का सही आरोप लगाया। बीमा कंपनी (अपीलार्थी) देयता से बचने के लिए पॉलिसी निबंधनों का कोई भंग साबित

करने में विफल रही। इस न्यायालय को अधिकरण के पंचाट में हस्तक्षेप करने में संयम बरतना चाहिए जब तक कि न्याय की हानि या कानून का घोर दुरुपयोग न हो। अपीलार्थी की आपत्तियां मुख्य रूप से कम आय की उपधारणा और पॉलिसी के भंग के अप्रमाणित दावों पर टिकी हैं, जिनमें से कोई भी न्यायिक संवीक्षा का सामना नहीं करता है। अधिकरण का पंचाट साक्ष्य का सही मूल्यांकन और लागू कानूनी मानदंडों के अनुसार आधारित है। मैं विद्वान अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत हूं। इस प्रकार विद्वान अधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्यों के निष्कर्ष में विघ्न डालने के लिए कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है तथा अधिकरण के पंचाट दिनांकित 11.04.2018 को बरकरार रखा जाता है।

13. खारिज।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किये जाते हैं।।

(अरुण मोंगा) ,जे

162-धनंजयएस/ आरमाथुर /-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए

उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी